न्यायायलय उपखण्ड अधिकारी ,श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)
पीठासीन अधिकारी– श्री मती सीता शर्मा आर.ए.एस.

1. खेमाराम पुत्र श्री प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी 3बी.एल.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर ।

–वादी –

व्नाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व ,श्रीविजयनगर ।

– प्रतिवादी –

उपस्थित :– श्री गुरविन्द्रसिंह क्वात्रा एडवोकेट – वादी की ओर से
तहसीलदार ,श्रीविजयनगर – पैरवकार राज

(वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट)

प्रकरण संख्या 33/2021

दिनांक : 14.02.2024

प्रकरण के संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार से है :–

कि वादी के द्वारा एक वाद पत्र अनवानी इस न्यायालय में पेश किया है कि वादी के नाम से चक 3बी.एल.एम. का मु.न. 44 प.न. 192/397 जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 का खाता सं. 91 मे वादी के नाम से 1/10हिस्सा भूमि दर्ज है उक्त भूमि वादी को पिता से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का नाम खेमचन्द अकिंत है । वादी का वास्तविक नाम खेमाराम है जो कि वादी के पहचान एंव पता संबंधित बने हुए दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड ,परिवार राशन कार्ड , बैंक खाता पासबुक आदि में वादी का नाम खेमाराम दर्ज है किन्तु वाद पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज करने के समय वादी का नाम खेमाराम के स्थान पर खेमचन्द्र दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम खेमाराम है। वादी का नाम जमाबन्दी में सहवन से खेमाराम के स्थान पर खेमचन्द अकिंत हो जाने से वादी को अपनी उपरोक्त भूमि खातेदारी भूमि पर भूमि सुधार हेतु ऋण प्राप्त करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने, विधुित कनै. व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने व राजस्व कार्यो को करने तथा फसल विकय व अन्य काश्त संबंधी कार्यो को करने में भारी परेशानियों का सामना करना पडता है वादी को भूमि सुधार ऋण की आवश्यकता होने पर प्रकरण दर्ज होने से 10 रोज पूर्व बैंक अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो बताया कि वादी के नाम से दर्ज भूमि में वादी का नाम खेमचन्द पुत्र प्रेमाराम अकिंत है जबकि वादी के अन्य समस्त दस्तावेज पहचान व पता संबंधि बनाये गये दस्तावेजो में वादी का नाम खेमाराम अकिंत है व वादी को जमाबन्दी में वादी का नाम दूरूस्त करवाकर खेमचन्द के स्थान पर खेमाराम करवाये जाने बाबत कहा जिस पर वादी ने प्रतिवादी से सम्पर्क कर इस बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी के द्वारा इस बाबत आवश्वासन दिया जाता रहा जिस पर वादी सद्भावी विश्वास करता रहा किन्तु अन्ततः प्रतिवादी के द्वारा इस बाबत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में चाराजोही करने का कहकर दरूस्ती से इन्कार कर दिया जिस पर वाद कारण प्राप्त होने पर अनवानी वाद

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरीये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी पैरवकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3बी.एल.एम. का मु.न. 44 प.न. 192/397 का का 1.442है. रकबा में से 0.144है. रकबा खेमचन्द पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल सा. 3बी.एल.एम. खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है गत रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी खेमचन्द पुत्र प्रेमाराम को उक्त रकबा विरासतन नामान्तरण संख्या 277 स्वीकृति दिनांक 23.01.2007 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज हुआ है वादी के दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्डआदि में खेमाराम दर्ज है मौके पर पूछताछ में खेमाराम व खेमचन्द दौनो एक ही व्यक्ति के नाम है सरपंच ग्राम पचांयत 6बी.एल.एम. द्वारा वादी खेमाराम व खेमचन्द दौनो एक ही व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त भूमि में सहखातेदारान औमप्रकाश, भागीरथ व हंसराज पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल निवासी 3बी.एल.एम. द्वारा शपथ पूर्वक ब्यान दर्ज करवाते हुए वादी खेमाराम व खेमचन्द दौनो नाम का एक ही व्यक्ति होना ब्यान किया है उक्त रकबा में राजस्व रिकार्ड में यदि खेमचन्द के स्थान पर खेमाराम नाम दूरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है । चूँकि प्रतिवादीगण एंव सहखातेदारान ने वादी के वाद पत्र के तथ्यों सेकोई एतराज प्रकट नहीं किया है और कोई विवाद्यक नहीं है इसलिए तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी के वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया है कि वर्तमान जमाबनदी चक 3बी.एल.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 का खाता सं. 91 में दर्ज मु.न. 44 प.न. 192/397 में वादी के नाम से 1/10हिस्सा भूमि खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में खेमचन्द के स्थान पर खेमाराम दूरूस्त किया जावे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव जवाब प्रतिवादी का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के तथ्यों से कोई एतराज प्रकट नहीं किया है पत्रावली में आयी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधर पर वादी का वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी चक 3बी.एल.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 का खाता सं. 91 में दर्ज का मु.न. 44 प.न. 192/397 मे वादी के नाम से 1/10हिस्सा भूमि कमाण्ड खतेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में खेमचन्द के स्थान पर खेमचन्द उर्फ खेमाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व श्रीविजियनगर उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी में दूरूस्ती कर खेमचन्द के स्थान पर खेमचन्द उर्फ खेमाराम दर्ज किया करे । पत्रावली फैसला शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है ।

श्रीमती सीता शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी एवं राजस्व)
श्रीविजयनगर ।

Scanned with CamScanner